

कार्यालय

पत्रांक: 4130 /न्याय सहायक/ कोरोना वायरस/ 2020

माठे जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 21.08.2020

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि माठे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्रः-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
 - (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
 - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंकेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
 - (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
 - (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।
- ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में विन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रः-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 21.08.2020 में अवगत कराया गया है कि “विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिरेसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।”

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 106 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 21-मौ० राधानगर बुलन्दशहर, मौ० साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच०ब्लाक यमुनापुरम बुलन्दशहर, मौ० गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० इन्द्रलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० विष्णुपुरम, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ० शान्ती निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, नजीमपुरा भूङ, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ० शास्त्री नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० ज्ञानलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राजनगर चॉदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० देवीपुरा-१, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला विहार-२ नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, क०पी०रोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय

क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 85 हॉटस्पॉट— नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, कायथथवाड़ा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० गांधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावठी, ग्राम शिवाली, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम चॉदपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर वि०ख० बी०बी०नगर व तहसील स्याना, ग्राम रहमापुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागॉव वि०ख० व तहसील स्याना, गली नं०-१, पहासू अड़डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, चावंड मौहल्ला, कस्बा वि०ख० व तहसील स्याना, शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड खुर्जा, आवास विकास कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, अलीगढ़ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गांधी चौक, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम माधवगढ़, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम खिजराबाद, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम एत्मादसराय वि०ख० गुलावठी तहसील सदर, ग्राम कुरली वि०ख० गुलावठी तहसील सदर, ग्राम सनौटा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पाली बेगपुर वि०ख० लाखवटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सराय छवीला, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, मौ०आहार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ०दिल्ली गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०लोधगान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ज्ञान लोक कालोनी(भारत गैस गोदाम) नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सैदपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम सरगॉव वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०राधा कृष्ण नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम झमका वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम रतनपुर वि०ख० जहाँगीराबाद, मौ०गोपालपुरी नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम बांहिच, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०आजमतारा कस्बा बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ० खाकरोवान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०गोसाईयान, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम कोटला, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० सत्यपुरी नगरीय क्षेत्र नरौरा, मौ० तेलियान निकट ईदगाह, कस्बा ककोड़, तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बिरौली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम हजरतपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम अहरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, वैशाली कालोनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम किला मेरवई वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम जैनपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आढा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बरौली वासदेवपुर, वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम शाहजादपुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम दौगवा वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम श्यौपुरी वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०मुफ्तीवाड़ा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ०होली दरवाजा नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ०सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम पौण्डरी वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ०कायथथवाड़ा नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम परली वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम बरौली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०चौधरीवाड़ा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम ईस्माईलपुर बुटैना वि०ख० व तहसील खुर्जा, कसर कलॉ वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम बिलौनारूप, वि०ख० व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० जोगीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम दरावर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम मालागढ़ वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, मौ०काजीखेल नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम गंगागढ़ वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम ताजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भमरा वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मढैया(बराल), वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला सोही वि०ख०पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०शिवपुरी नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम भौरा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ०चौक गली नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम गोधना वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जीवत वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मिर्जापुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि०ख० अर्निया तहसील खुर्जा, मौ०नेहरूगंज नई बस्ती नगरीय क्षेत्र अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 21.08.2020 तक जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।
जनपद में 41 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,

बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,

बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-अगस्त 21, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(B) 21/8/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर